

# Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

O O .		T T	
© Govt.	Ωt	Harv	vana

No. 95–2019/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 10 जून, 2019 (20 ज्येष्ठ, 1941 शक)				
विधायी परिशिष्ट				
क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ट		
भाग I	अधिनियम			
	कुछ नहीं।			
भाग II	अध्यादेश			
	कुछ नहीं।			
भाग III	प्रत्यायोजित विधान			
	अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 24 / संवि० / अनु० 309 / 2019, दिनांक 10 जून, 2019 — हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ग) क्षेत्रीय कार्यालय सेवा (संशोधन) नियम, 2019.	191—192		
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)			
भाग IV	शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन			
	कुछ नहीं।			

## भाग–III

## हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

# अधिसूचना

दिनांक 10 जून, 2019

संख्या साठकाठिन 24/संविठ/अनु0309/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ग) क्षेत्रीय कार्यालय सेवा नियम, 2012 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. ये नियम हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ग) क्षेत्रीय कार्यालय सेवा (संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ग) क्षेत्रीय कार्यालय सेवा नियम, 2012 में, परिशिष्ट ख में, खाना 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 16 के सामने, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः—

3	4
"(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष; तथा (ii) एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत सहित मैट्रिक ;	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष; (ii) ग्राम सचिव के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (iii) एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत सहित मैट्रिक।"।

सुधीर राजपाल, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग।

[Authorised English Translation]

## HARYANA GOVERNMENT

## DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

#### **Notification**

The 10th June, 2019

- **No. G.S.R. 24/Const/Art.309/2019.** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Development and Panchayats Department (Group C) Field Offices Service Rules, 2012, namely:-
- **1.** These Rules may be called the Haryana Development and Panchayats Department (Group C) Field Offices (Amendment) Service Rules, 2019.
- 2. In the Haryana Development and Panchayats Department (Group C) Field Offices Service Rules, 2012, in Appendix B, under columns 3 and 4, against serial number 16, for the existing items, the following entries shall be substituted, namely:-

3		4		
"(i) Graduation from any its equivalent; and (ii) Matric with Hindi or subjects.	Sanskrit as one of the	(i) (ii) (iii) (iii) 1	and	n any recognized

SUDHIR RAJPAL, Principal Secretary to Government Haryana, Development and Panchayats Department.

57116—L.R.—H.G.P., Chd.